न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 127/2018

अनवान :

1. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री चैनाराम जाति मेघवंशी निवासी मलसीसर तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. चैनाराम पुत्र लेखू जाति मेघवंशी निवासी मलसीसर।
2. जयलाल पुत्र चेनाराम जाति मेघवंशी निवासी मलसीसर।
3. प्यारेलाल पुत्र चैनाराम जाति मेघवंशी निवासी मलसीसर।
4. रामसिंह पुत्र चैनाराम जाति मेघवंशी निवासी मलसीसर।
5. ईश्वरराम पुत्र चैनाराम जाति मेघवंशी निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
6. किरसना पुत्री चैनाराम जाति मेघवंशी निवासी मलसीसर पत्नि राजवीर जाति मेघवंशी हाल आबाद गढ़डा तहसील भादरा।
7. विमला पुत्री चैनाराम जाति मेघवंशी निवासी मलसीसर पत्नि बंशीलाल मेघवंशी हाल आबाद चाडीवाल तहसील सिरसा।
8. भारतीय स्टेट बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा छानीबड़ी तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा, तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : **वादी**

वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 7**

निर्णय **दिनांक :** 1/6/18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 80/80 के खसरा सं0 215/2 की 2.175 है0, खसरा सं0 381 की 0.999 है0, खसरा सं0 556/2 की 1.669 है0 इस प्रकार कुल तीन खसरों की 4.843 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी चैनाराम के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रतिवादी चैनाराम को अपने पिता लेखू से विरासतन प्राप्त हुई थी एवं वादगत कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है। वादभूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 से 7 का प्रतिवादी चैनाराम के साथ जन्म से हक व हिस्सा निहित है। कृषि भूमि को हम वादी व प्रतिवादी सं0 2 से 5 के पक्ष में संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया था। प्रतिवादी चैनाराम ने भी हस्तगत कृषि भूमि जो उसके नाम दर्ज है में अपना समस्त हक हिस्सा अपने पांचों पुत्रों के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क कर दिया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैत्रक कृषि भूमि है, जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम मलसीसर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने ऐसे कोई साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य व रिकार्ड पेश नहीं किया है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित हो। इस प्रकार वादी अपने दावा को साबित करने असफल रहा है।

अत : वाद वादी साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .....1/6/18..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 127/2018

अनवान :

1. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री चैनाराम जाति मेघवंशी निवासी मलसीसर तहसील भादरा।

- वादी

बनाम

1. चैनाराम पुत्र लेखू जाति मेघवंशी निवासी मलसीसर।
2. जयलाल पुत्र चेनाराम जाति मेघवंशी निवासी मलसीसर।
3. प्यारेलाल पुत्र चैनाराम जाति मेघवंशी निवासी मलसीसर।
4. रामसिंह पुत्र चैनाराम जाति मेघवंशी निवासी मलसीसर।
5. ईश्वरराम पुत्र चैनाराम जाति मेघवंशी निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
6. किरसना पुत्री चैनाराम जाति मेघवंशी निवासी मलसीसर पत्नि राजवीर जाति मेघवंशी हाल आबाद गढ़डा तहसील भादरा।
7. विमला पुत्री चैनाराम जाति मेघवंशी निवासी मलसीसर पत्नि बंशीलाल मेघवंशी हाल आबाद चाडीवाल तहसील सिरसा।
8. भारतीय स्टेट बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा छानीबड़ी तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा, तहसील भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 श्री नरेन्द्र शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 1/6/18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़